भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3206
7 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन का विस्तार

†3206. **श्री एम. मल्लेश बाबू:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार या स्थानीय प्रतिनिधियों से बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन को व्हाइटफील्ड (कडुगोडी) से आगे कोलार जिले के मालूर तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मालूर क्षेत्र में बढ़ती यात्री आबादी और औद्योगिक उपस्थिति को देखते हुए इस तरह के विस्तार के लिए कोई पूर्व-व्यवहार्यता या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अध्ययन शुरू किया है या करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मेट्रो रेल नीति, 2017 के प्रावधानों के तहत मालूर तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें मेट्रो परियोजनाओं सहित शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योजना बनाने, पहल करने और प्रस्ताव तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार, जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तब केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों या शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि कोलार जिले के मलूर तक बेंगलुरु मेट्रो का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****